संख्या:385/2016/4760जेएल/22-3-16-100(102)/2016टीसी

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016***

विषय: जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र जनपद कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30000/सामा-1(3)/फतेहगढ़ मं0/2014, दिनांक 06-09-2016 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आलोक में, उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कामल-4 में अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0स0	**बंदी का नाम/पिता का नाम**	**निरूद्धी की वर्तमान कारागार**	**कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।**
1	**2**	**3**	**4**
1	अंकित तिवारी पुत्र श्री रमाकान्त तिवारी	जि0का0 फतेहगढ़	जि0का0 देवरिया
2	राजेश मिश्रा पुत्र श्री रामशंकर मिश्रा	जि0का0 फतेहगढ़	जि0का0 बस्ती
3	आमिर पुत्र श्री कमर मियां	जि0का0 फतेहगढ़	जि0का0 मऊ

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:385/2016/4760जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद/देवरिया/बस्ती/मऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद/देवरिया/बस्ती/मऊ।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, जि0का0 बस्ती/अधीक्षक, जि0का0, फतेहगढ़/देवरिया/मऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in